

राशमी  
(उपखण्ड अधिकारी)  
(आयुक्त अधिकारी)  
राजस्थान कलेक्टर

2. प्रार्थी श्री राशमी द्वारा राजस्थान कलेक्टर को संपन्न।  
किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाया।

1. तहसीलदार, राशमी को भुजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र प्रतिलिपि :-

क्रमांक: सट्टिता/5-11(2023)

दिनांक :-

राशमी  
(उपखण्ड अधिकारी)  
(आयुक्त अधिकारी)  
राजस्थान कलेक्टर



| क्र.सं. | मौजा  | खता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | देवीनाम | देवीसिद्ध |
|---------|-------|------------|--------------------------------------|---------|-----------|
| 1.      | राशमी | 296,297    | राशमी                                | राशमी   | राशमी     |
|         | मौजा  | खता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | देवीनाम | देवीसिद्ध |
|         | आदेश  | आदेश       | आदेश                                 | आदेश    | आदेश      |

जान का आदेश दिये जाते हैं :-

राशमी व जिला विर्वाडगाँव की जमाबन्दी सम्वत् 2077 में खता संख्या 296,297 में वर्तमान में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में मौजा राशमी तहसील निरीक्षक वृत्त राशमी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी की राजस्व अनुशेषा के आधार पर प्रार्थी के "खता दुबली" प्रार्थना पर एवं पटवारी, पटवार हल्का राशमी, भू अभिलेख

प्रसंग :- 2023/2023

:- आदेश :-

प्रशासन गाँवों के संग  
अभियान-2023

(प्राशसन अधिकारी कैम्प कार्ट) कैम्प :- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय

राजस्थान कलेक्टर एवं पटन सहायक कलेक्टर राशमी

राजस्थान सरकार

